

प्राप्ति

प्रेषक,

आयुष्मा
बरेली गण्डल, बरेली।

सेवा में

सचिव—

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः

सी०वी०एस०ई०/

2011-12 दिनांक 25-201

विषयः

जे०के०ई०टी० कार्चेट स्कूल जूनावई जनपद बदायूँ को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदयः

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत करने के शासनादेश दिनांक 14-07-09 के क्रम में गठित समिति निर्णय दिन 06-05-2011 के क्रम में उक्त संदर्भित विषय को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्द्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

- 01.—विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02.—विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नागित एक सदस्य होगा।
- 03.—विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति / जनजाति के मैथावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् / वैशिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04.—संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन नई दिल्ली / कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टीफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05.—संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षापेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संगठनों के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनगार्हों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06.—कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अरारातीय उच्चता, माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुग्रन्थ सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07.—राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08.—विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।
- 09.—उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवर्द्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्द्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बर्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(सुशीर पुजारोबड़े)

आयुक्त

बरेली गण्डल, बरेली।

दिनांक उक्तवित्।

पृष्ठोः सी०वी०एस०ई०/ 1015-22 / 2011-12

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01—संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुमान एवं संस्कार।
- 02—शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 03—जिलाधिकारी, बदायूँ।
- 04—संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली गण्डल, बरेली।
- 05—जिला विद्यालय निरीकाक, बदायूँ।
- 06—प्रबन्धक, जे०के०ई०टी० कार्चेट स्कूल जूनावई जनपद बदायूँ।
- 07—निरीक्षक, आग्ला भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

(सुशीर पुजारोबड़े)

आयुक्त

बरेली गण्डल, बरेली।

16

Manager

JKET Convent School
Junawai (Sambhal)